20/06/24 वकील वादी उपस्थित नही। वादी स्वयं भी उपस्थित नही। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई कारण भी पेश नही हुआ। बार-बार आवाज लगवाई गई। अतः यह वाद-पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब क्रमवार होकर दाखिल दफ्तर हो।